महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग
Maharashtra Electricity Regulatory Commission

माहितीचा अधिकार

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

MERC/ADM/RTI/042/2023/०१४९

Dt. 20.04.2023

प्रति,
श्री. कुमारपाल छगनराजजी राठोड,
२०१ राठोड निकेतन (बी विंग),
भंडारवाडा मित्तल कॉलेज के सामने,
मालाड (पश्चिम), मुंबई - ४०००६४.

विषय :- आपला माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत अर्ज.

महोदय,

आपला दि. २९.०३.२०२३ रोजीचा माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ चे कलम ६ (१) प्रमाणे केलेला अर्ज आयोगाच्या कार्यालयास दि.२९.०३.२०२३ रोजी प्राप्त झालेला आहे. आपणांस आवश्यक असलेला माहितीचा तपशील खालीलप्रमाणे नमूद केलेला आहे.

No	Information Sought	Information Provided
	व्यावसायीक बिजली मीटर पर लगाये जाने वाले फिक्स चार्ज के साथ अनय लिये जाने वाले चार्ज के विरूध्द मैंने तारिख ०१.०१.२००८, ०२.०८.२००८ को भेजे पत्र के लिये क्रमांक: मविनिआ/ग्रागानि/२०/२००८/१७६३ से तारिख ०१.०९.२००८ को जबाब भेजा था।उस जबाब के लिये तारिख ११.०९.२००८ को सवालों सहीत का पत्र भेजा था। भाव बढोतरी के लिये तारिख २६.०३.२००९ को रंग शारदा बांद्रा (पश्चिम) मे रखी जन सुनवाई मे मैंने ली हरकत को अनदेखा करके भाव बढाने की अनुमती दी। इसके लिये तारिख २३.०६.२००९,४.०५.२०१० को सवाल पूछकर पत्र दिया है। मैंने दिये पत्र में पूछे सवालों का जबाब नही देने के वजह से सुचना अधिकार मे पत्र दिया था। आपने पूछे सवालों का आज दिन तक जबाब नही भेजा है। कल समाचार माध्यम ने समाचार बताया की बिजली कंपनी ने भाव बढाने के लिये की अपिल पर आपने जन सुनवार्ठ पूर्ण करने खबर बताकर तारिख ०१.०४.२०२३ से भाव बढाने की अनुमती देने का आदेश शुक्रवार को देने की खबर बताई है। इस खबर के विषय में, निम्नलिखित सवालों के अनुसार की जानकारी सुचना अधिकार मे मांगी है।	
१	बिजली कंपनी के हित को ध्यान मे रखकर जनता के हित के विरूध्द आदेश (भाव मे बढोतरी करने की अनुमती) देने के लिये आयोग की नियुक्ति की है?	Information asked in question format. The Act does not permit raising imaginary questions and expecting the PIO to find answers for them. A Public Information Officer (PIO) is not expected to provide intangible such as interpretations, opinions, advices, explanations, reasons as they cannot be said to be included in the definition of information in Section 2(f) of the RTI Act, 2005. The information related to Public Hearings and the list of objectors etc. is available in downloadable format on Commission's website www.merc.gov.in.**
२	बिजली के भाव मे बढोतरी करने की अनुमती देने के लिये बिजली कंपनी ने आपके पास अपिल कभी की?	
३	इस अपिल पर जन सुनवाई किस दिन रखी थी? जन सुनवाई की सुचना दिन भर हर समाचार चेनल पर लगातार ७ दिन तक बताई है? जन सुनवाई की सुचना हर समाचार पत्र मे लगातार ७ दिन तक दी है?	
४	बिजली बिल मे लगने वाले हर चार्ज के विषय मे, पर जन सुनवाई की है? सभी कर सहीत, प्रती यूनिट का भाव लगाने विषयी जन सुनवाई की है? व्यवसायी मीटर के बिल मे स्लेप के विषय मे जन सुनवाई की है? मुंबई के कितने आम व्यक्ति ने, आम व्यवसायी ने जन सुनवाई मे हिस्सा लिया है? ध्वनीमुद्रीत सुनवाई की है? की गई सुनवाई मे, बिजली के भाव मे बढोतरी के विषय मे क्या बताया है? पूछे सवालों के अनुसार की जानकारी के साथ ध्वनीमुद्रीत सुनवाई की प्रत (क्लिप) +आदेश की प्रत, मुझे भेजने की कृपा करंगे?	
५	आपने दिये आदेश के विरूध्द न्याय पाने के लिये आम व्यक्ति, आम व्यवसायी को क्या करना चाहिये?	

१३वा मजला, केंद्र क्र. १, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५.
13th Floor, Centre No. 1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.
Tel.: 022-2216 3964 / 2216 3965 / 2216 3969 **Fax :** 022-2216 3976
E-mail : mercindia@merc.gov.in **Website :** www.merc.gov.in

According to section 2(f) of the Act 'Information' means 'any material in any form'. Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel Training No. 11/2/2008-IR dated 10th July, 2008. Careful reading of the definition of 'Information' and 'right to information' makes it clear that a citizen has a right to get the material, inspect the material, take notes form the material, take extracts or certified copies of the material, take samples of the material, take the material in the form of diskettes etc. The PIO is required to supply such material to the citizen who seeks it. The Act, however, does not require the PIO to deduce some conclusion from the 'material' and supply the 'conclusion' so deduced to the applicant. The PIO is required to supply the 'material, in form as held by the public authority and is not required to do research on behalf of the citizen to deduce anything from the material and then supply it to him.

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel Training No. 1/7/2009-IR dated 1st June, 2009. Information cannot include within its fold answers to the question "Why" which would be same thing as asking the reason for a justification for a particular thing. The PIO cannot expect to communicate to the citizen the reason why a certain thing was done or not done in the sense of a justification are matter within the domain of adjudication authorities and cannot properly be classified as information." This is not come under RTI.

**As per the Hon'ble CIC decision No. CIC/YA/A/2014/000379/SB Dated 19.09.2016 in the matter of Shri. K. Lall Vs M. K. Bagri, Assistant Registrar of Companies and CPIO, Appeal No. CIC/AT/A/2007/00112, dated 12.04.2007, since the same is available in public domain, the PIO is not obliged to provide the same to the appellant under the RTI Act.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम १९(१) अन्वये श्री अनिलकुमार उके, संचालक (विधी) प्रभारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी आहेत. पत्ता:- महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर १, १३ वा मजला, कफ परेड, मुंबई - ४००००५. दूरध्वनी क्र. ०२२-२२१६३९६४ / ६५ / ६९. **Email: anilkumar.ukey@merc.gov.in** .

आपला विश्वासू,

(अरूण वाळुंज)
जन माहिती अधिकारी तथा अवर सचिव